कार्यालय प्राचार्य, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़

नागोराव शेष भवन, जूना बिलासपुर, बिलासपुर – 495001 छत्तीसगढ़

दूरभाष क्र. 07752–291790

Web – www.gac.bilaspur.gov.in **Email:**govt.ayurvedcollegebilaspur@gmail.com

क्रमांक / स्था. / 2023 / 990 – 91 बिलासपुर, दिनांक 25 / 05 / 2023

विज्ञापन

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 13–01 / 2023 / आ.प्र. / 1–3, दिनांक 03 / 05 / 2023 एवं संचालनालय आयुष छत्तीसगढ़ का पत्र क्रमांक 23–2 / 1 / स्था. / अराज / 2023 / 1677, नवा रायपुर, दिनांक 12 / 05 / 2023 के निर्देशानुसार कार्यालय प्राचार्य, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, बिलासपुर के चतुर्थ श्रेणी (लेब अटेन्डेन्ट, भृत्य, चौकीदार, स्वच्छक, माली, गार्डन सर्वेन्ट एवं आया) के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु छत्तीसगढ़ के मूल / स्थानीय निवासियों से दिनांक 19 / 06 / 2023 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है, रिक्तियों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :–

स. क्र.	विज्ञापित पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	अनारक्षित		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अन्य पिछड़ा वर्ग		वेतन मैट्रिक्स
			मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	लेब अटेण्डेन्ट	03	01	–	01	–	–	–	01	–	लेवल–01
2	भृत्य	10	03	01	03	–	02	–	01	–	
3	चौकीदार (केवल पुरूष)	01	–	–	01	–	–	–	–	–	
4	स्वच्छक	06	03	–	01	–	01	–	01	–	
5	माली	01	01	–	–	–	–	–	–	–	
6	गार्डन सर्वेन्ट	02	01	–	–	–	01	–	–	–	
7	आया (केवल महिला)	01	01	–	–	–	–	–	–	–	
	कुल योग	**24**	**10**	**01**	**06**	**00**	**04**	**00**	**03**	**00**	

नोट :– भृत्य का एक पद निःशक्तजन हेतु आरक्षित है।

पदों की श्रेणी :– चतुर्थ श्रेणी।

पदों का वेतनमान रूपये :– वेतन मैट्रिक्स लेवल–01 (15600–49400) (ग्रेड पे – 1300) है।

1. **आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं** :– सरल क्रमांक 01 में अंकित पद लेब अटेण्डेन्ट हेतु माध्यमिक शिक्षा मण्डल अथवा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से हाई स्कूल परीक्षा (दसवीं) उत्तीर्ण।
   सरल क्रमांक 02 से 07 में अंकित पदों हेतु पूर्व माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा (आठवीं) अथवा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण।

2. **आयु सीमा** :– आयु दिनांक 01 जनवरी 2023 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होगी। छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ–3–2 / 2015 / 1–3, दिनांक 30.01.2019 के अनुसार सीधी भर्ती के पदों पर कैलेण्डर वर्ष 2023 की समाप्ति तक छ.ग. के मूल / स्थानीय निवासियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई 05 वर्ष की छूट की अवधि को दिनांक 01 / 01 / 2019 से 31 / 12 / 2023 अर्थात् 05 वर्ष तक बढ़ाया गया है, अन्य विशेष वर्गों के लिये अधिकतम आयु सीमा में देय सभी छुट यथावत रहेगी, किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिये अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष

क्रमश : 2

से अधिक नहीं होगी। आयु के सत्यापन हेतु पांचवीं की अंकसूची/जन्म प्रमाण पत्र जो कि निर्धारित अर्हकारी परीक्षा के प्रमाण पत्र से मिलान करती हो संलग्न करें। इसी आधार पर आयु सीमा का निर्धारण किया जावेगा।

3. चयन प्रक्रिया :– पद क्रमांक 01 लैब अटेण्डेन्ट हेतु हाई स्कूल परीक्षा तथा पद क्रमांक 02 से 07 तक के पद हेतु आठवीं के प्राप्तांकों के प्रतिशत का 80 प्रतिशत में प्राप्त अंक तथा आयुष विभाग में संविदा/कलेक्टर दर/दैनिक श्रमिक के रूप में कार्य करने के अनुभव का अधिकतम 20 अंक को जोड़कर बनाये गये मेरिट सूची के आधार पर चयन किया जावेगा। अनुभव हेतु एक पूर्ण वर्ष के लिए 03 अंक प्रदान किया जावेगा तथा पूर्ण वर्ष से अधिक छः माह से कम हेतु कोई अंक प्रदान नहीं किया जावेगा और छः माह या इससे अधिक के अनुभव को अगले पूर्ण वर्ष में परिवर्तित करके 03 अंक प्रदान किया जावेगा। इस प्रकार अनुभव का अधिकतम 20 अंक प्रदान किया जा सकेगा। आयुष विभाग में कार्य करने के अनुभव की पुष्टी हेतु संबंधित कोषालय से एक पूर्ण वर्ष हेतु प्रारंभ मध्य एवं अंत के माह का न्यूनतम तीन वेतन/पारिश्रमिक भुगतान संबंधि दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके अभाव में अनुभव मान्य नहीं होगा।

सरल क्रमांक 01 में विज्ञापित लैब अटेन्डेन्ट के कुल 03 पदों हेतु उक्तानुसार बनाये गये वर्गवार मेरिट सूची के आधार पर पांच गुना अभ्यर्थियों को जमा किए गये दस्तावेजों का मूल दस्तावेज/प्रमाण पत्रों के साथ सत्यापन हेतु बुलाया जायेगा। दस्तावेजों के सत्यापन पश्चात् सही पाये गए अभ्यर्थियों में से मेरिट के आधार पर चयन पश्चात् नियुक्ति पत्र प्रदान किये जायेंगे।

पद क्रमांक 02 से 07 तक विज्ञापित कुल 21 पदों हेतु उक्तानुसार बनाये गये वर्गवार मेरिट सूची के आधार पर पांच गुना अभ्यर्थियों को जमा किए गये दस्तावेजों का मूल दस्तावेज/प्रमाण पत्रों के साथ सत्यापन हेतु बुलाया जायेगा। दस्तावेजों के सत्यापन पश्चात सही पाये गए अभ्यर्थियों में से वर्गवार मेरिट के आधार पर विज्ञापित कुल 21 पदों के तीन गुना अभ्यर्थियों को विज्ञापित विभिन्न पदों के चयन हेतु काऊन्सिलिंग के लिये पुनः बुलाया जावेगा तथा मेरिट के क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं के लिये चयनित पदों पर नियुक्ति दिया जावेगा।

उक्तानुसार की जानेवाली कार्यवाही में चयन समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

4. आवेदन कैसे करें –

1. सरल क्रमांक 01 में अंकित पद लैब अटेण्डेन्ट हेतु पृथक से एक आवेदन करना होगा। लिफाफे के ऊपर "लैब अटेण्डेन्ट" हेतु आवेदन, विज्ञप्ति क्रमांक, दिनांक एवं आवेदक का नाम व पता स्पष्ट रूप से अवश्य लिखा जावे अन्यथा आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
2. सरल क्रमांक 02 से 07 तक के पदों हेतु पृथक–पृथक आवेदन न करें। उक्त सभी पदों हेतु एक ही आवेदन पत्र स्वीकार्य होंगे। लिफाफे के ऊपर चतुर्थ श्रेणी के पदों हेतु आवेदन, विज्ञप्ति क्रमांक, दिनांक एवं आवेदक का नाम व पता स्पष्ट रूप से अवश्य लिखा जावे अन्यथा आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
3. आवेदन पत्र संलग्न प्रारूप के अनुसार ए–4 साईज आकार के कागज पर आवेदन करें, आवेदन पत्र पूर्ण रूप से साफ–साफ अक्षरों में भरा जाना चाहिये। आवेदन पत्र के साथ पूर्ण पता लिखकर "4X8" के दो लिफाफा में 5.00 रूपये का डाक टिकट चस्पा कर संलग्न करना अनिवार्य है।
4. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में कोई सूचना नहीं दी जावेगी तथा ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे।

क्रमशः ...3..

5. आवेदन पत्र में असत्य जानकारी देने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा साथ ही नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।

5. आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि – समस्त आवश्यक सहपत्रों सहित पूर्णतया भरे हुए आवेदन पत्र कार्यालय प्राचार्य, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, बिलासपुर, नागोराव शेष भवन, जुना बिलासपुर, छत्तीसगढ़, पिन कोड – 495001 के पते पर पंजीकृत डाक/स्पीडपोस्ट के माध्यम से दिनांक 19/06/2023 दिन सोमवार को कार्यालयीन समय 05:30 बजे तक अथवा उसके पूर्व आवश्यक रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए। आवेदक कृपया ध्यान देवें कि डाक अथवा किन्हीं कारण से होने वाले विलंब के लिए कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा। अंतिम तिथि एवं समय के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे एवं वे आवेदन स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे। इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य नहीं होगा। आवेदन पत्र सीधे स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

आवेदन के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश :–

1. यह विज्ञापन छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) चतुर्थ श्रेणी सेवा भरती नियम, 2011 के अध्याधीन होगी।
2. सभी अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी होना अनिवार्य है।
3. विज्ञापित पद पर चयन के लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं न्यूनतम है और इन योग्यताओं के होने से ही उम्मीदवार चयन किये जाने का हकदार नहीं हो जाते है।
4. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्मतिथि को आधार मानकर वरीयता निर्धारित की जावेगी। जिस अभ्यर्थी की उम्र अधिक होगी उसको वरीयता प्रदान की जावेगी।
5. अर्हकारी परीक्षा में पूर्णाक/प्राप्तांक के जगह ग्रेड पद्धति से अगर मूल्यांकन किया गया है तब जिस स्कूल से परीक्षा उत्तीर्ण की गयी है उनके संस्था प्रमुख से उक्त ग्रेड को पूर्णांक एवं प्राप्तांक में परिवर्तित करवाकर प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करेंगे। इसके अभाव में अभ्यर्थी के आवेदनों को निरस्त कर दिया जावेगा।
6. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी। उक्त अवधि में प्रथम वर्ष उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत स्टायपेण्ड के साथ अन्य भत्ते नियामनुसार देय होंगे। परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर, जब वह सेवा या पद पर स्थाई किया जाता है तब शासकीय सेवक का वेतन, उस सेवा या पद को लागू समयमान का न्यूनतम नियत किया जावेंगा।
7. राज्य शासन द्वारा समय–समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
8. अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित अभ्यर्थीयों को चयन की दशा में छ.ग. सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, रायपुर के परिपत्र क्रमांक एफ 13–4/2006/आ. प्र./1–3 नया रायपुर, दिनांक 29/06/2013 के अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9. उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिये किये जाने वाले चयन माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर एस. एल. पी. (सी.) क्रमांक 19668/2022 में पारित होने वाले अंतरिम आदेश/निर्णय दिनांक 01/05/2023 के अध्याधीन होगी ।
10. निर्धारित आयु सीमा (18 से 35 वर्ष) 01.01.2023 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होगी। अभ्यर्थीओं को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय–समय पर प्रसारित नियमों/निर्देशों के तहत निर्धारित आयु सीमा में नियमानुसार छुट दी जावेगी। छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ–3–2/2015/1–3, दिनांक 30.01.2019 के अनुसार सीधी

क्रमशः ...4..

भर्ती के पदों पर कैलेण्डर वर्ष 2023 की समाप्ति तक छ.ग. के स्थानीय निवासियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई 05 वर्ष की छूट की अवधि को दिनांक 01.01.2019 से 31.12.2023 अर्थात् 05 वर्ष तक बढ़ाया जाता है, अन्य विशेष वर्गों के लिये अधिकतम आयु सीमा में देय सभी छुट यथावत रहेगी, किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिये अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। आयु के सत्यापन हेतु पांचवीं की अंकसूची/जन्म प्रमाण पत्र जो कि निर्धारित अर्हकारी परीक्षा के प्रमाण पत्र से मिलान करती हो संलग्न करें। इसके अभाव में अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।

11. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र की (शासकीय सेवकों को छोड़कर) छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
12. अनुभव हेतु नियोक्ता द्वारा जारी हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र ही मान्य किया जायेगा।
13. जन्मतिथि दर्शानेवाली पाचवीं परीक्षा प्रमाण पत्र/जन्म प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
14. अपूर्ण रूप से भरे गये या बिना सहपत्रों के आवेदन पत्र के संबंध में कोई सूचना नहीं दी जावेगी तथा ऐसे आवेदन अमान्य कर दिये जायेंगे।
15. विवाहित महिला उम्मीदवारों का नाम/उपनाम परिवर्तन संबंधी दस्तावेज/शपथपत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
16. शासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपना आवेदन नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
17. उम्मीदवारों द्वारा नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटो आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर चिपकाया जावे, जो कि स्व–प्रमाणित हों।
18. अभ्यर्थी के पास आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं एवं अन्य अर्हता, आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त करना आवश्यक है। उक्त तिथि के बाद जारी किये दस्तावेज मान्य नहीं किया जावेगा।
19. उपलब्ध पदों के लिए दिव्यांगता की श्रेणी में अस्थिबाधित (O.L/O.A) श्रेणी के दिव्यांग ही पात्र होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 27/09/2014 के अनुसार 40 प्रतिशत दिव्यांगता से ग्रसित अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। दिव्यांग उमीदवारों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नवीनतम प्रमाणपत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
20. कोई भी उमीदवार जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
21. पुरूष उमीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो। इसी प्रकार महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे किसी व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो। ऐसे मामले में शासन ही निर्णय ले सकता है अर्थात यदि शासन को इस बात से समाधान हो जाए की ऐसा करने का पर्याप्त कारण है, तो वह इस प्रतिबंध से छुट दे सकता है।
22. उम्मीदवार का चयन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों व मार्गदर्शी सिद्धांतो तथा मापदण्डों के आधार पर चयन समिति द्वारा किया जावेगा।
23. भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी विवाद की स्थित में पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार चयन समिति को होगा।
24. उम्मीदवार अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप में ही करें, अन्यथा आवेदन अमान्य कर दिया जायेगा।
25. विज्ञापित पदों की संख्या में परिवर्तन एवं निरस्त करने का पूर्ण अधिकार कार्यालय प्रमुख को होगा।

क्रमशः ...5..

आवेदन पत्र का प्रारूप एवं अन्य विवरण कार्यालयीन समय में कार्यालय प्राचार्य, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, बिलासपुर, नागोराव शेष भवन, जुना बिलासपुर छत्तीसगढ़ पिन कोड 495001 के सूचना फलक पर एवं वेबसाइट www.gac.bilaspur.gov.in में देखे जा सकते हैं। उक्त भर्ती के संबंध में जानकारी समय – समय पर महाविद्यालय के वेबसाइट में दी जावेगी।

स्वप्रमाणित दस्तावेज निम्न क्रमानुसार ही संलग्न करें:–

1. छ.ग. का मूल निवासी प्रमाण पत्र।
2. आयु संबंधी प्रमाण पत्र।
3. पाचवीं परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र।
4. आठवीं या हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र।
5. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।
6. यदि आवेदक आयुष विभाग में कार्य किया है तो कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र तथा इसकी पुष्टी हेतु संबंधित कोषालय से एक पूर्ण वर्ष हेतु प्रारंभ, मध्य एवं अंत के माह का न्यूनतम तीन वेतन/पारिश्रमिक भुगतान संबंधि दस्तावेज।
7. यदि निर्धारित आयु सीमा में छूट चाही गई है तो प्रमाण पत्र अनिवार्यतः संलग्न करें।
8. यदि आवेदक शासकीय संस्था में सेवारत है, तो कार्यालय प्रमुख का अनापत्ति प्रमाण पत्र।
9. विवाहित महिला उम्मीदवारों का नाम/उपनाम परिवर्तन संबंधी दस्तावेज/शपथपत्र।

संलग्न :– आवेदन पत्र का प्रारूप।

(डॉ. रक्षपाल गुप्ता)
प्राचार्य
शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं
चिकित्सालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

लैब अटेण्डेन्ट पद हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

प्राचार्य,
शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय,
बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
पिन.नं. 495001

पास पोर्ट साइज का स्वसत्यापित फोटो चस्पा करें

1. आवेदक/का नाम (हिन्दी में) ....
(अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में) ....
2. पिता/पति का नाम ....
3. (अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता (हिन्दी में) ....
....
.... पिन कोड .... दूरभाष क्र. ....
(ब) स्थायी पता ....
....
4. जन्मतिथि अंको में .... शब्दों में ....
(पांचवीं/जन्म प्रमाण पत्र अनुसार)
आयु दिनांक 01/01/2023 को .... वर्ष .... माह .... दिन
5. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है? हां/नही ☐
6. संवर्ग (टिक करें) अनारक्षित ☐ अ0ज0जा0 ☐ अ0जा0 ☐ अ0पि0व0 ☐
7. लिंग (टिक करें) पुरूष ☐ महिला ☐ उभयलिंग ☐
8. रोजगार पंजीयन क्रमांक .... दिनांक ....
9. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित उच्चतम आयु सीमा में छुट चाहता है? हां/नहीं ....
यदि हां तो किस आधार पर ....
(उक्त हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
10. क्या आप विवाहित है? हां/नहीं ☐
11. यदि आप विवाहित हो तो विवाह की तिथि ....

क्रमशः ...2..

12. शैक्षणिक योग्यता :–

क्र.	शैक्षणिक योग्यता	वि.वि. / बार्ड / संस्था का नाम / अन्य	पूर्णांक	प्राप्तांक	श्रेणी	उत्तीर्ण होने का वर्ष
	1	2	3	4	5	6
1.						
2.						
3.						
4.						

13. आयुष विभाग में कार्य करने का अनुभव

क्रमांक	कब से	कब तक	कुल अवधि

14. संलग्नों की सूची

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....
8. ....
9. ....
10. ....

–:: घोषणा पत्र ::–

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता / करती हुँ कि इस आवेदन पत्र में दिये गये सभी विवरण मेरे सर्वोत्तम विश्वास एवं जानकारी के अनुसार सत्य, पूर्ण एवं सही है। आवेदित पद के लिये मैं निर्धारित योग्यता रखता / रखती हूॅं। मुझे जानकारी है कि इसमें दी गई कोई भी जानकारी या सूचना गलत, असत्य या अपूर्ण पायी जाने पर उक्त पद के लिये मेरी उम्मीदवारी रद्द या निरस्त की जा सकती है, इस संबंध में मुझे कोई नोटिस दिये बिना मेरी सेवाएं समाप्त की जा सकती है तथा मेरे विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकती है।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान : ....

नाम ....

दिनांक : ....

पता ....

भृत्य, चौकीदार, स्वच्छक, माली, गार्डन सर्वेन्ट एवं आया पद हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

प्राचार्य,
शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय,
बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
पिन.नं. 495001

पास पोर्ट साइज का स्वसत्यापित फोटो चस्पा करें

1. आवेदक/का नाम (हिन्दी में) ....
(अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में) ....
2. पिता/पति का नाम ....
3. (अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता (हिन्दी में) ....
....
.... पिन कोड .... दूरभाष क्र. ....
(ब) स्थायी पता ....
....
4. जन्मतिथि अंको में .... शब्दों में ....
(पांचवीं/जन्म प्रमाण पत्र अनुसार)
आयु दिनांक 01/01/2023 को .... वर्ष .... माह .... दिन
5. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है? हां/नही ☐
6. संवर्ग (टिक करें) अनारक्षित ☐ अ0ज0जा0 ☐ अ0जा0 ☐ अ0पि0व0 ☐
7. लिंग (टिक करें) पुरूष ☐ महिला ☐ उभयलिंग ☐
8. रोजगार पंजीयन क्रमांक .... दिनांक ....
9. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित उच्चतम आयु सीमा में छुट चाहता है? हां/नहीं ....
यदि हां तो किस आधार पर ....
(उक्त हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
10. क्या आप विवाहित है? हां/नहीं ☐
11. यदि आप विवाहित हो तो विवाह की तिथि ....

क्रमशः ...2..

12. शैक्षणिक योग्यता :-

क्र.	शैक्षणिक योग्यता	वि.वि./बार्ड/संस्था का नाम/अन्य	पूर्णांक	प्राप्तांक	श्रेणी	उत्तीर्ण होने का वर्ष
	1	2	3	4	5	6
1.						
2.						
3.						
4.						

13. आयुष विभाग में कार्य करने का अनुभव

क्रमांक	कब से	कब तक	कुल अवधि

14. संलग्नों की सूची

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....
8. ....
9. ....
10. ....

-: घोषणा पत्र :-

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हुँ कि इस आवेदन पत्र में दिये गये सभी विवरण मेरे सर्वोत्तम विश्वास एवं जानकारी के अनुसार सत्य, पूर्ण एवं सही है। आवेदित पद के लिये मैं निर्धारित योग्यता रखता/रखती हूँ। मुझे जानकारी है कि इसमें दी गई कोई भी जानकारी या सूचना गलत, असत्य या अपूर्ण पायी जाने पर उक्त पद के लिये मेरी उम्मीदवारी रद्द या निरस्त की जा सकती है, इस संबंध में मुझे कोई नोटिस दिये बिना मेरी सेवाएं समाप्त की जा सकती है तथा मेरे विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकती है।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान : ....

नाम ....

दिनांक : ....

पता ....